ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 145-147

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

लैंगिक पक्षपात और अन्याय

डॉ0 स्वपना मीना

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, काषी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-10.06.2022, Revised-15.06.2022, Accepted-20.06.2022 E-mail: swapanameena5@gmail.com

सारांशः – *किसी भी समाज में यदि विपन्नता को दूर करना है, तो प्रथमतः उस समाज में निवासरत स्त्री–पुरूष में समानता होना अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय समाज के मूल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण पुरूष स्त्री को हीन मानता आया है। जब भी स्त्री की समानता का प्रश्न होता है तो पुरूष अपनी रूढ़िवादी दलील को प्रस्तुत करता है, यही कारण है कि स्त्री को उसके जन्म से लेकर अंत तक सभी क्षेत्रों यथा अध्ययन क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, वेतन आदि में दोयम दर्जा प्राप्त है जबकि ऐतिहासिक रूप से भारतीय पुराण एवं वेदों में स्त्री को विशेष महत्व दिया गया है। नारी को माँ के रूप में पूजा जाता है, बहन और बेटी के रूप में उसकी रक्षा की जाती है तथा पत्नी के रूप में उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन नारी के संबंध में यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि जिस समाज में स्त्री को पूजनीया एवं सम्माननीया समझा जाता है। उसी समाज में उसे दोयम् दर्जा प्राप्त है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री को भोग्या समझा जाता है जबकि स्त्री जगत् जननी है, उसे आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। श्री रामकृष्ण कहते भी हैं– "जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि सभी स्त्रियाँ देवी माँ का ही स्वरूप हैं, वही इस संसार में आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। ईश्वर को जाने बिना कोई यह नहीं समझ सकता कि स्त्री क्या है।"[1]. स्त्री शक्ति स्वरूपा है, वह मानवता का सृजन करती है। उसे कमजोर मानकर हीन नहीं समझना चाहिए। माता अमृतानंदमयी देवी ने कहा है– "स्त्री कमजोर नहीं है। उसे कभी कमजोर मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी स्वाभाविक करूणा और सहानुभूति को अक्सर ही उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। यदि कोई स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति को समझ ले तो वह पुरूष से भी अधिक पौरूषवान बन सकती है। पुरूष समाज को ईमानदारी से स्त्री की सहायता करनी चाहिए ताकि वह अपनी भीतरी शक्ति को पहचान सकें। यदि हम स्वयं को उस आंतरिक शक्ति के अनुरूप ढ़ाल लें, तो यह विश्व स्वर्ग बन सकता है। युद्ध, शत्रुता और आंतंकवाद समाप्त हो जाएंगे। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेम और करूणा ही हमारे जीवन का सर्वस्व बन जायेंगे।"[2]. किन्तु यह तभी संभव है जब हम स्त्री को उसकी शक्ति को पहचानने का मौका देंगें। जब तक स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानेगी तब तक यह विश्व स्वर्ग नहीं बन सकता है।*

कुंजीभूत शब्द– पितृसत्तात्मक व्यवस्था, रूढ़िवादी दलील, अध्ययन क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, वेतन, दोयम दर्जा, ऐतिहासिक रूप।

मानवता को स्वर्ग बनाने की आज महती आवश्यकता है। पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब सदा से चली आ रही पुरूषों द्वारा नारी के साथ पक्षपात और अन्याय की भावना को समाप्त किया जाए; क्योंकि स्त्रियों के साथ हो रहा पक्षपात और अन्याय समाज के लिए आज एक बड़ी समस्या बना हुआ है। प्रथम महिला अत्याचार विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव 'कोफी अन्नान' ने भी कहा था कि "महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस हिंसा से सभी देश, सभी समुदाय व जातियाँ प्रभावित हो रही हैं। कोई भी समाज, संकृति या भौगोलिक परिस्थितियाँ इससे अछूती नहीं। महिलाओं पर अत्याचार घरों में, परिवारों में, सड़कों पर, कार्यालयों तक में हो रहे हैं। मानव जाति के विकास व शांति के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है।" इस खतरे को समाप्त करने के लिए विश्व के संपूर्ण देश अपने–अपने स्तर से प्रयासरत हैं, क्योंकि स्त्री पर हो रहे पक्षपात और अन्याय से प्रत्येक तीन महिलाओं में से एक महिला पीड़ित है। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के खिलाफ अन्याय की अवधारणा सदियों से चली आ रही है, इसलिए इसकी जड़ें गहराई में समाई हुई हैं। इन जड़ों को पूर्णणः समाप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व को एकजुटता दिखानी होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 'एंटोनियो गुटेरेश' ने एकजुटता के लिए सपूर्ण विश्व को आह्वान करते हुए कहा है– "मैं दुनिया भर में तमाम सरकारों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी और आम लोंगों का आह्वान करता हूँ कि यौन हिंसा और महिलाओं व लड़कियों के प्रति मौजूद पूर्वाग्रह के खिलाफ मजबूत रूख अपनाएँ। हमें यौन हिंसा के पीड़ितो, उनके कानूनी मददगारों और महिला अधिकारों की पैरवी करने वालों के साथ और ज्यादा एकजुटता दिखानी होगी, और हमें महिला अधिकारों व समान अवसरों को बढ़ावा देना होगा। एक साथ मिलकर हम बलात्कार व सभी तरह की यौन हिंसा को रोक सकते हैं और हमें रोकना भी होगा" तभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय एवं पक्षपात की जड़ों का समाप्त किया जा सकता है।

विश्व के संपूर्ण देशों के साथ भारत में भी महिलाओं के प्रति हो रहे पक्षपात एवं अन्याय की जड़ों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर क्रियान्वित योजनाओं द्वारा संबंधित लोगों तक इनका लाभ पहुँचाने की कोशिश

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

की जा रही है, लेकिन राजसत्ता की भेदनक्षमता, पंचायती राज और हाषियें के लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुँचाने को लेकर जारी कोशिशों के बीच महिला की प्रस्थिति सोचने–समझने का एक गंभीर विषय बना हुआ है। यह सच है कि जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है, जिनका पृथ्वी के आधे संसाधनों पर पूरा हक है और जिसके बिना विकास वास्तविक या कल्याणकारी नहीं हो सकता, उन्हे अभी भी सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने हेतु कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जो लोगों में एक लड़की के जन्म को अभिशाप न समझने की मानसिकता पैदा करे, महिला में विश्वास पैदा करे, उनमें सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने का साहस उत्पन्न करे। इस प्रष्न एक का ही जवाब हो सकता है और वह है– महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और अन्याय की समाप्ति। चूंकि भारतीय समाज में मर्दवादी संस्कृति ने महिलाओं को सदैव हीन समझा है, जिसका नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्याएँ हो रही हैं। ये हत्याएँ ही वास्तव में लिंगानुपात में असमानता की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान से चेतना जागृत होती है। दिमाग के सभी कपाट खुल जाते हैं, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यही ज्ञान बालिकाओं के लिए काल साबित हो रहा है। सन् 1980 से नए चिकित्सा अनुसंधानों में गर्भ परीक्षण तथा गर्भपात सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सन् 1984 में अकेले मुंबई महानगर में भ्रूण हत्याओं के 40000 मामले प्रकाश में आए। कहने का तात्पर्य है कि मादा भ्रूण हत्याओं के कारण महिला–पुरूष अनुपात में लगातार कमी होती रही है, जिसे तालिका संख्या–1 से स्पष्ट समझा जा सकता है–

तालिका संख्या–1

भारत में महिला – पुरूष अनुपात (सन् 1901 – 2011 तक)

जनगणना वर्ष	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	943

(स्रोत – भारत की जनगणना, 2011, अंतिम जनगणना योग महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली)

तालिका संख्या – 1 से स्पश्ट है कि भारत में पुरूषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी 1981 – 1991 की अवधि में आई, जब लिंगानुपात 927 हो गया। सन् 2011 में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जबकि सन 1991 में प्रति हजार पुरूषों पर 927 महिलाएँ ही थीं। यदि हम लिंगानुपात की दार्घकालीन प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं तो यह स्पश्ट होता है कि इसमें गिरावट आई है। यदि इस लिंगानुपात को हम समुदाय के लिहाज से देखें तो यह सिथिति और भी दयनीय है। ईसाइयों में महिला – पुरूष अनुपात सबसे अच्छा है और सिक्खों में यह अनुपात निम्न कोटि का है। तालिका संख्या – 2 विभिन्न समुदाओं के महिला – पुरूष अनुपात की स्थिति प्रस्तुत करती है–

तालिका संख्या – 2

धर्म	महिला – पुरूष अनुपात
हिन्दू	939
मुस्लिम	951
सिक्ख	903
ईसाई	1023
बौद्ध	965

(स्रोत – भारत की जनगणना – 2011, अंतिम जनगणना योग महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली)

तालिका संख्या – 2 देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्या सिक्ख समुदाय अर्थात् पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में होती हैं। पंजाब राज्य के 14 जिलों में महिलाओं का अनुपात 900 से नीचे चला गया है। इसी प्रकार हरियाणा में 19 जिलों में महिलाओं का अनुपात 900 से कम है। बात यदि दिल्ली की की जाए तो वहाँ स्थिति और भी भयावह है। दिल्ली के किसी भी जिले में यह अनुपात 900 से अधिक नहीं है। महिलाओं की घटती संख्या में यह राज्य अव्वल दर्जा प्राप्त किए हुए हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

वर्तमान में हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे निकट भविष्य में कई सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने कानून द्वारा भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है, किंतु इस कानून की वैसे ही धज्जियाँ उडी हैं जैसे षारदा एक्ट की। अर्थात् जिस प्रकार बाल विवाह धडल्ले से हो रहे हैं उसी प्रकार भ्रूण परीक्षण भी। कन्या भ्रूण होने पर भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय कृत्य करने में माता–पिता तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं।

समाजशास्त्रियों व महिला संगठनों से निवेदन है कि धार्मिक कारणों से पुत्र प्राप्ति का राग अलापना छोड़कर हमारे समाज पर निगाह डालें। भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के प्रयास करें। पाश्चात्यकरण से प्रभावित हमारे युवकों को नारी की महत्व समझाएँ व एक महिला को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करें, जिससे देष प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। 'श्रम' एक महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ स्त्री और पुरूष के मध्य लगातार भेद किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 'ग्रामीण भारत में मजदूरी' पर जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्त्री – पुरूष की मजदूरी में अंतर है। पुरूष प्रधान विस्तार सेवा प्रणाली कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को जनरअंदाज करती है। नेषनल सैंपल सर्वे संगठन द्वारा जारी रिपार्ट (2017) के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में संलग्न पुरूशों की औसत मजदूरी रू 264 तथा महिलाओं की रू 205 है। अर्थात् खेतिहर महिलाओं की मजदूरी पुरूषों की तुलना में लगभग 22 फीसदी कम है। इसी संदर्भ में यदि दलित महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति और भी दयनीय है। चूंकि पुरूष प्रधान समाज में परिवार का मुखिया पुरूष होता है, किंतु परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी स्त्रियों पर होती है। उनका अपना विकास इसलिए नहीं होता है, क्योंकि उन पर सभी के विकास का उत्तरदायित्व होता है, परिणामस्वरूप "शहरों में (दलित) औरतें असंगठित क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जैसे– अखबार, धूपबत्ती, कपड़े–लत्ते की फेरी कर बिक्री करना, कबाड़ चुनना, कागज बिनना, कोयला, लोहा बिनना, चौका–बर्तन साफ करना जैसे असंगठित क्षेत्र हैं, जो अस्वच्छ और न्यूनतम मूल्य तथा कठोर परिश्रम पर आधारित हैं। दूसरा निमार्ण कार्य सड़क बनाना, ईंट–भट्टों पर कार्य करना, बीड़ी या खिलौने बनाना सभी कड़ी मेहनत के कार्य हैं।

मर्दवाद की संस्कृति हमेशा से स्त्री की प्रकृति को प्रदूषित करती हुई आई है। अभी पिछले दयाक पहले ही अमेरिका में मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक स्त्री को 'खलीफा' बनाकर अपनी यातना की वाणी देने का प्रयास किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम की परंपराओं में पुरूष आज भी स्त्री के लिए कितना क्रूर बना हुआ है। इस्लाम में स्त्रियाँ मस्जिदों में जाकर नमाज तक नहीं पढ़ सकती हैं। यहाँ यह कहना उचित होगा कि समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, लोकशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं साहित्यशास्त्र के अनेक विचारक मान चुके हैं अथवा कह रहे हैं कि सभी समाजों में चाहे हिन्दू हो अथवा मुस्लिम, सिक्ख हो या ईसाई, दलित हो या फिर आदिवासी, स्त्री की आकांक्षाओं को रौंदा गया है और रौंदा जा रहा है। सभी समाजों ने सांस्कृतिक मनोभूमिकाओं में स्त्री को पुरूष से नीचे रखा है।"[4] यह सब तो कम है, सभी समाजों में इतना भी होता है कि सुंदर लड़कियों का तो विवाह हो जाता है और असुंदर लड़कियों से नफरत। लड़कियों के इस अपमान, घृणा, उपेक्षा, अकेलेपन से घबराकर ही समलैंगिक विवाह में उभार आता जा रहा है। ऐसी सामाजिक बुराइयों से निपटने का सबसे उत्तम तरीका अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना ही है। जब तक स्त्रियों पर अत्याचार होते रहेंगे तब तक एक न्यायोचित व मानवीय सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। अंत में सभी बुद्धिजीवियों के चिंतन हेतु 'सिमोन डे बुआर' के विचारों को उद्धृत करते हुए पत्र लेखन को विराम देना चाहूँगी कि 'स्त्री को कब तक 'अदर' माना जाता रहेगा और मर्दवादी सोच इस 'अन्य' को कब तक पीसता रहेगा? क्या इस चिंतन का कोई अंत नहीं।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्त महेन्द्रनाथ, 1942, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, स्वामी निखिलानन्द (अनुवाद), श्री रामकृष्ण मठ, चेन्नई, 2000, पृष्ठ 965.
2. श्रीमाता अमृतानंदमयी देवी, द इनफिनिट पोटेंशियल ऑफ विमेन, स्त्रियों की वैश्विक षांति पहल के सम्मेलन में सन् 2008 में जयपुर में दिया गया उद्बोधन : "विश्व समुदाय की भलाई के लिए स्त्री जाति का मार्ग प्रशस्त करना", 2008, पृष्ठ 23.
3. नई आर्थिक नीति और दलित महिला : रजनी, दलित साहित्य – 2001, नई दिल्ली, पृष्ठ 235.
4. उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य : कृष्ण दत्त पालीवाल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 96.

*****